प्रेस विज्ञप्ति

मा0 कुलपति जी द्वारा ट्रामा सेण्टर-1 में तिमारदारों के साथ सर्जरी जनरल के रेजीडेण्ट द्वारा की गयी मारपीट सम्बंधी प्रकरण में आरोपित/संलिप्त जूनियर रेजीडेण्ट डा0 वैभव राज गोपाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु प्रो0 एस0सी0तिवारी, विभागाध्यक्ष, जिरियाट्रिक मेण्टल हेल्थ विभाग की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हुए समिति को यथाशीघ्र जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए आज मा0 कुलपति जी द्वारा क्वीन मैरी चिकित्सालय सहित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मा0 कुलपति जी द्वारा विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग सहित प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों के साथ ही साथ बाल विभाग के चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों को निर्देश निर्गत किये गये। मा0 कुलपति जी द्वारा एन0एन0यू0 सहित वार्डो की व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, विभागाध्यक्ष, बाल विभाग सहित विश्वविद्यालय के अभियंताओं को भी निर्गत किये गये। मा0 कुलपति जी द्वारा क्वीन मैरी चिकित्सालय में हुई नवजातों की मौत के प्रकरण की जांच हेतु प्रो0 यू0बी0मिश्रा, विभागाध्यक्ष, हास्पीटल एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हुए प्रकरण की जांच कर दो दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये गये है। यह समिति प्रकरण की जांच के साथ ही साथ एन0एन0यू0 की सुविधाओं में सुधार हेतु आवश्यक उपाय भी सुझायेगी।

मा0 कुलपति जी के निर्देश पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग/बाल विभाग के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों/तिमारदारों विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पुलीस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है।

इसके अतिरिक्त मा0 कुलपति जी द्वारा विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, विभागाध्यक्ष, बाल विभाग तथा एन0एन0यू0 प्रभारी, प्रो0 माला कुमार को भी एन0एन0यू0 की सुविधाओं

में सुधार हेतु मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त एन0एन0यू0 की सुविधाओं के सुदृढ़िकरण/विस्तारीकरण हेतु विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे तद्नुसार शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकें।

मा0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश पुलीस द्वारा के0जी0एम0यू0 के विरूद्ध दायर याचिका को मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

25/4/16

(डा0 वेद प्रकाश)
उप चिकित्सा अधीक्षक
गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय
के0जी0एम0यू0, लखनऊ।